WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Edible oil for Orissa

- *362. SHRI SANTOSH KUMAR
 SAHU: Will the Minister of
 CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION
 be pleased to state:
- (a) whether Government are aware of the shortage and higher prices of edible oil in Orissa;
- (b) whether the State Government has placed any demand before the Central Government for allocation of imported edible oil; and
- (c) if so, what is the State's monthly demand and allocation of edible oil made during the years 1992-93 and 1993-94?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) to (c) No report of shortage and/or rise in prices of edible oils has been received from Orissa. State Government of Orissa had last asked for allocation of edible oil in November, 1991 indicating that they would require the allocation till such time as prices of oils came down to reasonable levels.

State Government were accordingly allocated 5,500 MTs. of oil between November, 1991 and April, 1992 which they lifted by June, 1992. State Government neither made any demand nor were they allocated any oil thereafter as the prices of edible oils started declining from February, 1992.

Consumer movement in the country

*364. SHRI V. HANUMANTHA RAO : DR. SANJAYA SINH :

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government propose to involved N.G.Ds to strengthen the consumer movement in the country and also to ex-

pand its coverage in distributive trade;

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) & (b) The policy of the Govt. is to encourage involvement of NGDs in strengthening the consumer movement in the country. Enactment and enforcement of the Consumer Protection Act, 1986 itself is an important step in promoting a strong and broad based consumer movement in the country, under which voluntary consumer associations have been empowered to file complaints in the redressal agencies set up under the Act. They have also been given representation in various Councils/Committees and are being given financial assistance and support in their activities. So far as the coverage of distributive trade is concerned, the Act applies to all defective goods, deficient services, unfair trade practices in the public, private, joint and co-operative sectors. Only goods purchased for commercial or resale purposes are outside the purview of the Act.

उत्तर प्रवेश में सार्वजनिक वित्रूण प्रणाली की स्थिति

- *365 वौधरो हरमोहन सिंह : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृषा कराँगे कि :
- (क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में अब तक उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लेवी चीनी और अन्य वस्तुओं की मांग तथा उनकी राज्य को वास्तिविक आपूर्ति का अलग-अलग ब्यारा क्या है;
- (ख) इनः वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ग) पिछड़े क्षेत्रों को रियायती दरों पर उपभोक्ता वस्तूएं उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रधान मंत्री की योजना के अंतर्गत क्या उत्तर

प्रदेश में कुछ खण्डों की पहचान कर ली गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और मार्वजिनिक वितरण मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 (अप्रैल, 1992—जनवरी, 1993) के दौरान उत्तर प्रदेश निवा जावेटन तथा गेहा की मांग, उन्हें किया गया आवंटन तथा उक्त राज्य द्वारा उठाई गई इनकी मात्रा, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तल तथा मिट्टी के तेल का आवंटन तथा उठाई गई मात्रा विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, की खाद्यानों तथा सार्वजिनक वितरण प्रणाली की अन्य वस्तुओं का थोक आवंटन, केन्द्रीय पुल में समग्र भंडार,

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारस्परिक आवश्य-कताओं, मौसम संबंधी कारणों आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

संपृष्ट सार्वजिनिक वितरण प्रणाली के तहत उत्तर प्रदेश में (राज्य सरकार के परामर्श से) 145 ब्लाकों को चुना गया है, जो सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों तथा स्मेकित आदिवासी विकास परियोजना के तहत आते हैं। संपृष्ट सार्वजिनिक वितरण प्रणाली के तहत चुने गए क्षेत्रों में वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त हैं और उनका केन्द्रीय निर्गम मूल्य सामान्य सार्वजिनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में 50 रु. प्रति विवटल कम हैं।

विवरण

			(हजार मी० टन में)				
वर्ष	मांग	ग्राबंटन	उठाई गई मात्रा मांग		म्राबंटन उठाई गई मात्रा		
	चावल				गेहूं		
1990-91	460	370	283	830	691	414	
1991-92	611	376	356	1235	743	667	
1992-93 (ग्रप्रैल, 92 से जनवरी,93)	1438	369	295	1850	563	499	
	श्रायातित	खाद्य तेल	लेबी ची	लेवी चीनी		मिट्टी का तेल	
	म्राबंटन	उठाई गई मात्रा	ग्राबंटन	उठाई गई मात्रा	ग्रा बंटन उ	 ठाई गई मात्रा	
1990-91	18.55	7.15	651	×	910	91	
1991-92	6.0	1.58	672	×	908	91	
1992-93 (ग्रप्रैल ,92 से जनवरी ,93)	1.5		572	×	758	7 6	

imesलेबी चीनी लगभग अत-प्रतिशत उठा ली जाती है।